

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
DEPARTMENT OF PERSONNEL  
(A-Gr.II)

No. F. 5(2)DOP/A-II/91

Jaipur, dated:-28.06-2008

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may called the Rajasthan Computer State and Subordinate Service (Second Amendment) Rules, 2008.
  - (2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
2. **Amendment of Rules and Schedules.**- In the Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992 and schedule appended their to,-
  - (i) for the expression "Computer Operator" wherever occurring, the expression "Assistant Programmer" shall be substituted.
  - (ii) for the expression "Data Entry Operator" wherever occurring the expression "Informatics Assistant" shall be substituted.

By Order and in the name of the  
Governor,

(Dr. Loknath Soni)

Deputy Secretary to the Government

33/2008

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:-प. 5(2)कार्मिक/क-2/91

जयपुर, दिनांक:-28.6.2008

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2008 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. नियमों और अनुसूचियों में संशोधन.- राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 और उनसे संलग्न अनुसूचियों में, -
  - (i) जहां कहीं भी अभिव्यक्ति "कम्प्यूटर ऑपरेटर" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "सहायक प्रोग्रामर" प्रतिस्थापित की जायेगी।
  - (ii) जहां कहीं भी अभिव्यक्ति "डाटाएन्ट्री ऑपरेटर" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "सूचना सहायक" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

<sup>em</sup>  
(डॉ० लोकनाथ सोनी)  
शासन उप सचिव